अनुबंध - II

गेल (इंडिया) लिमिटेड

निदेशक मण्डल विविधता नीति

01. प्रस्तावना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मण्डल ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग डी(3) के निबंधन के अनुसार निदेशक मण्डल में विविधता की नीति अपनाई है।

02. नीति

गेल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार की कंपनी है।

संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा यह विनिर्धारित है कि कंपनी के निदेशकों की संख्या 03 (तीन) से कम और 20 (बीस) से अधिक नहीं होगी। संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 75 के अनुसार जब तक भारत के राष्ट्रपति कंपनी की 51% या उससे अधिक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी धारित करते हैं:

- कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन निबंधन एवं शर्तों, पारश्रमिक और कालावधि के लिए की जाएगी जो समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- राष्ट्रपति कंपनी के अध्यक्ष के परामर्श से उस संख्या में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करेगा जो उन निबंधन एवं शर्तों, पारश्रमिक और कालावधि के लिए होगा जैसा कि समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के कार्यालय की किसी रिक्ति, जिसकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई है और जो पदच्युत किए जाने, त्याग पत्र दिए जाने, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से हुई है, को भरने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध और अन्य कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी रु.100 करोड़ या अधिक अथवा जिसका टर्नओवर रु.300 करोड़ या अधिक है, उसमें कम से कम एक महिला निदेशक का होना अपेक्षित है। साथ ही, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के खण्ड 17(क) में यह प्रावधान है कि निदेशक मण्डल में कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक निदेशकों के इष्टतम समिश्रण के साथ एक महिला निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक, निदेशक मण्डल के 50% से कम नहीं होना चाहिए।

गेल प्रतियोगी लाभ को बनाए रखने के लिए निदेशक मण्डल में विविधता के महत्व को मान्यता देता है और अंगीकार करता है। वास्तविक रूप से वैविध्यापूर्ण निदेशक मण्डल के सदस्यों के विविध कौशल, योग्यता, संस्कृति और क्षेत्रीय अनुभव, भौगोलिक एवं औद्योगिक अनुभव, जातीयता, लिंग-भेद, ज्ञान और सेवा की अवधि तथा अन्य विशिष्ट गुणों के उपयोग से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के मामलों के लिए निदेशक मण्डल में विविधता की इस नीति पर विचार किया जाएगा।

03. नीति की समीक्षा

इसकी प्रभावशीलता तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन को भी सुनिश्चित करने के लिए समिति द्वारा इस नीति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी।